प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा मे,

1. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

पत्रसंख्या :–एस0पी0एम0यू/बी0एस0जी0वाई0/18/2012–13/1167-2 **दिनॉक 23.08.2012**
विषयः– "आशीर्वाद"– बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय के पूर्व पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/बी0एस0जी0वाई0/18/2012–13/801–72 दिनांक 23.07.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से "आशीर्वाद"– बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना के सम्बन्ध में आरम्भिक दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे। आप अवगत हैं कि "आशीर्वाद"– बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 से ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा–1 से 10 तक के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण की योजना तैयार की गयी है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग, जांच, संदर्भन एवं उपचार की व्यवस्था की जा रही है।

पूर्व पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि जनपद में "आशीर्वाद"– बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना (बी0एस0जी0वाई0) का नोडल अधिकारी नामित करके 31 जुलाई, 2012 तक योजना की विशेष ईमेल gmbsgy@rediffmail.com पर सूचित करें। खेद का विषय है कि अभी तक कुछ ही जनपदों से यह सूचना प्राप्त हुई है तथा शेष जनपदों से आनी अवशेष है। आपको निर्देशित किया जाता है कि 15.08.2012 तक नोडल अधिकारी नामित करते हुए उपर्युक्त ई–मेल पर सूचना प्रेषित करें। साथ ही अपेक्षा की गई थी कि दिनांक 05.08.2012 तक जनपद स्तर पर सम्बन्धित विभागों के साथ प्रथम समन्वय बैठक आयोजित की जाय परन्तु इसकी सूचना भी अभी तक मुख्यालय को प्राप्त नहीं है।

यह प्रदेश शासन की प्राथमिकता वाली अति महत्वपूर्ण योजना है एवं इसका शुभारंभ शीघ्र ही किया जाना है। अतः आपको जनपद में कार्यक्रम के संचालन हेतु निम्न गतिविधियां तत्काल आरम्भ कर देनी हैं:–

1. ब्लॉक स्तर पर मेडिकल टीम्स का चयनः–

- जनपद के अन्तर्गत ब्लॉक्स की संख्या के अनुसार मेडिकल टीम्स (2 प्रति ब्लॉक) के चयन, तैनाती के लिए जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त, विज्ञापन एवं चयन की प्रकिया आरम्भ कर दी जाय। यदि शीघ्र जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की कोई बैठक प्रस्तावित न हो तो जिलाधिकारी, अध्यक्ष–जिला स्वास्थ्य सोसाइटी से अनुमोदन लेकर जिला स्वास्थ्य सोसाइटी में कार्योत्तर अनुमोदन हेतु रख लें।
- प्रत्येक ब्लॉक पर दो मेडिकल टीमें तैनात की जानी हैं, जिनका स्वरूप निम्नवत हैः–
  - ✓ **प्रथम टीम** में एक संविदा चिकित्सक रहेगा, जिसके लिए एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक को प्राथमिकता दी जाय, यदि एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक न मिले तो दंत चिकित्सक (बी0डी0एस0) को तैनात किया जाय।
  - ✓ **दूसरी टीम** में आयुष का एक चिकित्सक–भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों के स्थानीय आयुर्वेद, होम्योपैथ एवं यूनानी चिकित्सक को

संविदा पर तैनात किया जाय। आयुष के परास्नातक डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाय। यदि किसी कारणवश आयुष चिकित्सक चयनित न किये जा सकें, तो बी0डी0एस0 चिकित्सकों को लिया जा सकता है।

✓ प्रत्येक टीम में एक पराचिकित्सक–ऑप्टोमेट्रिस्ट/ऑथैल्मिक असिस्टेन्ट/डेन्टल हाईजीनिस्ट अथवा फिजियोथेरेपिस्ट में से एक तथा एक महिला नर्सिंग स्टाफ–ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 अथवा एच0वी0 में से एक कर्मी संविदा पर तैनात किया जाय।

- इस प्रकार प्रत्येक टीम में 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक चिकित्सक, एक महिला नर्सिंग स्टाफ एवं एक पराचिकित्सक रहेंगे। अवकाश प्राप्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक, ए0एन0एम0, एच0वी0, स्टाफ नर्स भी रखे जा सकते हैं, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो तथा जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हों।
- मेडिकल टीम के चयन के लिए जनपद के प्रमुख 4 समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जाय, जिसके लिए रु0 12,000.00 की धनराशि प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। विज्ञापन एवं अनुबन्ध का प्रारूप अन्य संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए दी गई गाइडलाइन्स के अनुसार तैयार किया जाय। संविदा कर्मियों के चयन हेतु जनपद की चयन समिति द्वारा ही इनके चयन की कार्यवाही की जाय तथा समस्त गतिविधियां जिला स्वास्थ्य सोसाइटी से अनुमोदित कराई जायें।

2. <u>ब्लॉक स्तर पर वाहन व्यवस्थाः–</u>

- प्रत्येक ब्लॉक से किराये पर एक वाहन चलाया जाना है। इस वाहन हेतु रु0 1,000.00 प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25 दिवस प्रतिमाह हेतु कुल धनराशि रु0 25,000.00 प्रतिमाह का प्राविधान है, जिसके अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- ज़िला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अनुमोदनोपरान्त जनपद में ब्लॉक्स की संख्या के आधार पर निविदा के माध्यम से वाहन अनुबन्ध किये जाने की प्रकिया पूर्ण की जाय।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित की गई विस्तृत गाइडलाइन्स, शर्तें एवं अनुबन्ध पत्र का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति की सहमति के उपरान्त किया जा सकता है।
- स्कूलों के भ्रमण की योजना इस प्रकार से तैयार की जाय कि एक क्षेत्र के नजदीक के दो स्कूल चिन्हित किये जायें तथा दोनों मेडिकल टीमों के अधिकारी व कर्मी एक ही वाहन में ब्लॉक से चलें तथा माइक्रोप्लान के अनुसार दो अलग–अलग स्कूलों में पहुंचकर परीक्षण कार्य करें।
- कार्य समाप्त होने पर दोनों ही टीमें उसी वाहन से ब्लॉक पर लौटेंगी। यह सुनिश्चित किया जाय कि किराये का वाहन इस प्रकार का हो, जिसमें छः कर्मी सरलतापूर्वक बैठ सकें तथा वाहन को एक निर्धारित रूट मैप के अनुसार चलाया जाय।
- वाहन के चयन के लिए जनपद के प्रमुख 4 समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जाय, जिसके लिए रु0 12,000.00 की धनराशि प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। विज्ञापन एवं अनुबन्ध का प्रारूप किराये पर अन्य वाहनों के लिए दी गई गाइडलाइन्स के अनुसार तैयार किया जाय।

2. शिक्षकों का प्रशिक्षणः–

- कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के समस्त ब्लॉक्स में क्रियाशील राजकीय प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल तथा हाईस्कूलों के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है। अतः निर्णय लिया गया है कि कक्षा–1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूलों में प्रति स्कूल एक शिक्षक अथवा शिक्षा मित्र प्रशिक्षित किया जायेगा। जूनियर हाईस्कूलों में प्राइमरी सेक्शन के लिए एक तथा जूनियर सेक्शन के लिए एक शिक्षक, इस प्रकार कुल दो शिक्षक प्रशिक्षित किये जायें। कक्षा–1 से कक्षा–10 तक के हाईस्कूलों में प्राइमरी सेक्शन के लिए एक, जूनियर सेक्शन के लिए एक तथा कक्षा–9 एवं 10 के लिए एक अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षित किया जाय, इस प्रकार कुल तीन शिक्षक प्रशिक्षित किये जायें। इन प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा छात्रों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की जाए तथा मेडिकल टीम की विजिट के समय उन्हें सहयोग प्रदान किया जाये।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक अथवा दो 'प्री–इन्टीग्रेशन कैम्प' आयोजित किये जाते हैं, जिनके कर्मियों में से एक को नामित कराते हुए प्रशिक्षित किया जाय।
- जनपदों में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक स्तर पर क्रियाशील सर्व शिक्षा अभियान/बेसिक शिक्षा विभाग के "ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर्स" को प्रशिक्षण स्थल बनाया जाय तथा प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षकों एवं स्कूलों के मध्य समन्वय का कार्य सर्व शिक्षा अभियान के ब्लॉक समन्वयक एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाय। इन्हीं के द्वारा ब्लॉक हेतु प्रशिक्षण का माइक्रोप्लान स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ मिलकर तैयार किया जाय तथा स्कूलों को ससमय अवगत कराया जाय।
- प्रत्येक ब्लॉक में स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में 3 अधिकारी/कर्मी प्रशिक्षित किये गये हैं। जनपद स्तर पर इनका एक दिवसीय ओरिएन्टेशन पुनः किया जायेगा क्योंकि मॉड्यूल में कतिपय संशोधन किये जा रहें हैं। इनके द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- शीघ्र ही संशोधित मॉड्यूल की पर्याप्त प्रतियां आपको उपलब्ध कराई जाएंगी।
- प्रशिक्षित शिक्षकों/शिक्षा मित्रों द्वारा स्क्रीनिंग के दौरान जो बच्चे लम्बाई तथा वज़न आदि में कमज़ोर/पिछड़े हुए पाये जायेंगे अथवा जिनमें किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण परिलक्षित हो रहें होंगे उन्हें चिन्हित करके मेडिकल टीम को दिखाया जायेगा।

3. लॉजिस्टिक्स व्यवस्थाः–

- आपको अवगत कराया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को एक बाल स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाना है, जिसका प्रोटोटाइप शीघ्र ही आपको प्रेषित किया जायेगा। साथ ही रेफरल स्लिप एवं रजिस्टर हेतु भी प्रोटोटाइप दिये जायेंगे, जिसके मुद्रण के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।
- प्रत्येक मेडिकल टीम के लिए वजन नापने की मशीन, लम्बाई नापने का यंत्र/टेप, नजर की जांच के लिए स्नैलेन्स चार्ट एवं टॉर्च की व्यवस्था की जानी है। इस प्रकार प्रत्येक ब्लॉक पर इन उपकरणों के 2 सेट कोटेशन के आधार पर राजकीय नियमानुसार क्रय किये जाने होंगे।
- **फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्थाः**–प्रत्येक विद्यालय में किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल उपचार हेतु एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाना है, जिसमें निम्न सामग्री रहेगीः–
  –3 इंची पट्टी (बैण्डेज) के पांच रोल।
  –50 बैण्ड–एड (Band-Aid) का एक डिब्बा।
  –200 ग्राम का रुई (कॉटन) का एक बण्डल।

–50 एम0एल0 मरक्युरोक्रोम/टिंक्चर आयोडीन की शीशी।
–पैरासिटामॉल के 10 गोली के 10 पत्ते।
–डॉम पेरिडॉन की 20 गोली।
–डाईसाइक्लोमीन की 20 गोली।

उपर्युक्त सामग्री प्लास्टिक के एक बड़े डिब्बे में सूखे स्थान पर सुरक्षित रखी जायेगी। औषधियों का क्रय रेट कॉन्ट्रेक्ट के अनुसार किया जाय तथा प्लास्टिक के डिब्बे (10 इंचX6 इंच) का क्रय (अनुमानित लागत रु0 30.00) कोटेशन के आधार पर राजकीय नियमानुसार किया जायेगा। इस फर्स्ट एड बॉक्स के प्रयोग के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के समय उन्हें अवगत कराया जायेगा।

- **आयरन फोलिक एसिड एवं डी–वर्मिंग की गोली की व्यवस्थाः**–कार्यक्रम के अन्तर्गत रक्ताल्पता से बचाव के लिए समस्त विद्यार्थियों को साल में दो बार पेट के कीड़ों के लिए डी–वर्मिंग की गोली तथा नियमित रूप से खाने के लिए आयरन फोलिक एसिड की गोली की व्यवस्था की गई है। इन गोलियों के क्रय हेतु धनराशि जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के खाते में अवमुक्त की जायेगी। उक्त दवाएं राज्य स्तर से महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्रसंख्या–महा0निदे0/कैम्प/2012/814 दिनांक 18 अगस्त, 2012 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए क्रय करके ब्लॉक स्तर तक पहुंचाई जायें।

5. स्वास्थ्य कार्ड भरा जानाः–

- बाल स्वास्थ्य कार्ड में विभिन्न सूचनायें भरी जानी हैं, जो मेडिकल टीम की विजिट से पहले ही नोडल शिक्षक द्वारा भरवा ली जायें। मेडिकल टीम की विजिट के दौरान भरी जाने वाली सूचनायें चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में भरी जायेंगी तथा यदि विद्यार्थी का संदर्भन आवश्यक होगा तो संदर्भन पर्ची भी भरकर छात्र को दी जाये।
- प्रत्येक बाल स्वास्थ्य कार्ड में आयु एवं लिंग के सापेक्ष छात्रों का वज़न एवं लम्बाई के निर्धारित मानक दर्शाये गये हैं तथा कार्ड के अंतिम पृष्ठ पर **विद्यार्थियों के जानने योग्य बातें** दी गई हैं, जिनके प्रयोग के सम्बन्ध में शिक्षकों के मॉड्यूल में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय।

6. मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षणः–

- मेडिकल टीम की विजिट से पूर्व निर्धारित रजिस्टर में विद्यार्थियों की समस्त सम्बन्धित सूचना भरकर तैयारी रखी जाये।
- कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रधानाचार्य को ब्लॉक में कार्यरत कोऑर्डिनेटर तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मेडिकल टीम के भ्रमण के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा, जिससे स्वास्थ्य परीक्षण के दिन सभी पंजीकृत बच्चे स्कूल में उपस्थित रहें।
- विजिट के दिन मेडिकल टीम के पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा प्रशिक्षित शिक्षक के सहयोग से स्कूल के सभी छात्रों का वज़न, लम्बाई तथा नज़र की जांच का परीक्षण किया जाये तथा उनके द्वारा चिन्हित रुग्ण अथवा कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सक द्वारा किया जाये।
- जो बच्चे पूर्व में प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिन्हित किये गये होंगे, उनका विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भी चिकित्सक द्वारा किया जाये।

7. आयरन तथा डी–वर्मिंग की गोलियों का वितरणः–

- ब्लॉक स्तर से मेडिकल टीम स्कूलवार ये गोलियां अपने साथ लेकर स्वास्थ्य परीक्षण के दिन स्कूल पहुंचायेगी। डी–वर्मिंग की गोली विजिट के ही दिन, टीम की उपस्थिति में विद्यार्थियों को खिलाई जायेगी। आयरन फोलिक एसिड की गोली दिये गये निर्देशों के अनुसार छात्रों को निर्धारित दिन भोजनावकाश के समय खाने हेतु सम्बन्धित शिक्षक द्वारा दी जाये।
- 10 वर्ष की आयु तक के छात्रों को बच्चों वाली आई0एफ0ए0 की गोली (30 मिलीग्राम आयरन तथा 250 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड) सप्ताह में दो बार निर्धारित दिवसों यथा–सोमवार, बृहस्पतिवार अथवा मंगलवार, शुक्रवार को तथा 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को बड़ों वाली आई0एफ0ए0 की गोली (100 मिलीग्राम आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड) सप्ताह में एक बार निर्धारित दिवस यथा–प्रत्येक बुद्धवार/बृहस्पतिवार को खिलाई जाये।
- विज़िट के समय मेडिकल टीम द्वारा समस्त छात्र/छात्राओं को आधे घण्टे के लिए सभा स्थल पर एकत्रित करके आयरन की गोली के लाभ तथा गुणों के सम्बन्ध में बताया जायेगा, जिससे बच्चे स्वयं निर्धारित दिनों पर यह गोली खाने के लिए उत्सुक हों। गोली खिलाने के लिए भी भोजनावकाश के समय भोजन आरम्भ करने के साथ ही दिये जाने की संस्तुति की जाय, जिससे इसका अवशोषण अच्छा हो सके। इसी समय बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ–सफाई तथा पोषण के सम्बन्ध में भी आवश्यक जानकारी दी जाये।

8. मेडिकल टीम के डॉक्यूमेन्टेशन की व्यवस्थाः–

- ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर पर कार्यरत कोऑर्डिनेटर तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग से स्कूलों में मेडिकल टीम के भ्रमण का माइक्रोप्लान तैयार किया जाये तथा इस प्रकार से व्यवस्था की जाये कि दो मेडिकल टीमें एक ही दिन में दो स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य पूर्ण करें।
- प्रत्येक मेडिकल टीम के लिए एक कैमरे की भी व्यवस्था की जानी है। मेडिकल टीम के चिकित्सा अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि विद्यालय में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी का फोटो खिंचवाकर विद्यार्थी के लिए बनाये जाने वाले बाल स्वास्थ्य कार्ड पर प्रदर्शित किया जाय। प्रत्येक विजिट के प्रमाण के रूप में विद्यालय के नाम वाले बोर्ड का फोटो भी खींचा जाय।
- साथ ही शिक्षकों, परीक्षण किये जा रहे छात्रों, बाल स्वास्थ्य कार्ड एवं रजिस्टर, आयरन फोलिक एसिड एवं डी–वर्मिंग गोलियों के सैम्पिल चित्र खींचे जायेंगे, जो सी0डी0 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को भी प्रेषित किये जायेंगे। कैमरे के क्रय के लिए इन्सिडेन्टल चार्जेज के रूप में धनराशि की व्यवस्था की जा रही है, जो प्रति टीम एक के अनुसार उपलब्ध कराया जाये।

9. संदर्भन व्यवस्थाः–

- मेडिकल टीम द्वारा ऐसे रोगी छात्रों को तत्काल उपचार दिया जायेगा, जिन्हें घर पर रहते हुए इलाज़ लेना सम्भव होगा। यदि किसी छात्र को विशिष्ट जांच एवं उपचार की आवश्यकता होगी तो उसे संदर्भन पर्ची देकर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई अथवा जिला चिकित्सालय संदर्भित किया जाये। संदर्भित किये जाने वाले छात्रों की संख्या अनुमानित 2 प्रतिशत होगी, जिनके लिए

संदर्भन परिवहन सुविधा हेतु रु0 200.00 प्रति छात्र की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

- यदि कोई छात्र जिला चिकित्सालय द्वारा अति गंभीर रूप से रुग्ण पाया जाता है, जिसके उपचार के लिए उसे मेडिकल कॉलेज अथवा अन्य सुपर स्पेशियएलिटी अस्पताल भेजने की सलाह दी जाती है, तो उसके उपचार के लिए रु0 25,000.00 प्रति ब्लॉक की दर से धनराशि का भी प्राविधान किया गया है। इसके लिए जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा मण्डलीय अपर निदेशक की संस्तुति आवश्यक होगी।

10. **प्रशासनिक व्ययः—** विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियां यथा—विज्ञापन, चयन प्रकिया, स्टेश्नरी एवं अन्य विविध व्यय हेतु रु0 50,000.00 की धनराशि प्रति जनपद की दर से अलग से प्रेषित की जा रही है, जिसे आप इन कार्यों हेतु उपयोगित करें।

11. **वित्तीय व्यवस्थाः—** उपर्युक्त गतिविधियों के लिए निम्न मानकानुसार धनराशि की व्यवस्था है। शीघ्र ही कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त गतिविधियों हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही हैः—

S.No.	Proposed activity	Rate/unit	Total No.
1	• Development and printing of health cards (including photograph of each child to be pasted on health card)	Rs.4.00 (colour ful with 4 sides)	No. of children registered in schools to be covered
	• Development and printing of referral slips	Rs. 1.00	2% of total registered children
	• Procurement of essential equipments like-weight machine, heightometer, Snellan's chart, torch etc.	Rs. 1,000.00	No. of blocks x2 Medical teams
	• Procurement of IFA and de-worming tablets.	Rs. 17/child for 100 tabs of IFA and 2 tabs of deworming	No. of children registered in schools to be covered
	• Training of dedicated team members	Rs.2000 /team(3 members/team)	No. of teams in the district
2	• First aid box in all the schools	Rs. 200/school	No. of schools in the district
3	• MBBS Doctors or	1/block @Rs. 36,000/month or	No. of blocks in the district
	• BDS Doctors	@ Rs. 35,000/month	
4	• Ayush Doctors	1/block@ Rs. 24,000/month	No. of blocks in the district
5	• GNMs	1/block@ Rs. 15,000/month	No. of blocks in the district
6	• ANMs	1/block@ Rs. 10,000/month	No. of blocks in the district
7	• Paramedics	2/block @ Rs. 11,880	No. of blocks in the district x 2 paramedics
8	• Hiring of vehicle	Rs. 25,000/month or Rs. 1.50 lacs for 6 months	No. of blocks in the district
9	• Incidental charges for documentation/ reporting/ photographs etc.	Rs. 7,000/team (1 time)	No. of teams in the district
10	• Referral of 2% sick children to district hospitals for transportation	Rs. 200/child	2% of total registered children
11	• Referral of very sick children to medical college/tertiary care center	Rs. 25,000/block	1-2/block

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दिये गये विस्तृत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही तत्काल आरम्भ कर दें। समस्त गतिविधियों के लिए जनपद हेतु एक समुचित कार्ययोजना तैयार करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करें एवं विभिन्न गतिविधियों हेतु जनपदीय नोडल अधिकारी को उत्तरदायी बनाते हुए शिक्षा विभाग तथा आई0सी0डी0एस0 विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित करें। भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

आपसे अनुरोध है कि बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उपर्युक्त समस्त कार्यवाही तत्काल आरम्भ कर दी जायें, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की यह महत्वांकाक्षी योजना पूर्व में दी गई समय सारिणी के अनुसार पूर्ण तैयारी के साथ ससमय आरम्भ की जा सके।

भवदीय

23/08/12

O/C (मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या :–एस0पी0एम0यू/बी0एस0जी0वाई0/18/2012–13/1167-2-11 **तद्दिनॉक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. डा0 सुरेश के0 मोहम्मद, निदेशक, एन0आर0एच0एम0 एवं आर0सी0एच0, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यकम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

23/08/12

O/C (मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक